संख्या-12/2023/58-2023- 697/001-1503616-2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण (भारित) की योजना में रू0-8.00 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-104/बजट/2022-23, दिनांक 12.01.2023 एवं पत्र सं0-145/ बजट/2022-23, दिनांक 23.02.2023 के सन्दर्भ में शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-बजट-1-442/ई-1/दस-2023, दिनांक-09.03.2023 एवं पृष्ठांकन संख्या-576/58-2023, दिनांक-13.03.2023 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 03-नर्सरी-0304- राज भवन उद्यानों का अनुरक्षण (भारित) की योजना के मानक मद 01-वेतन में धनराशि रू0-5.00 लाख एवं 03-मॅहगाई भत्ता में रू0-3.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-8.00 लाख की हो रही बचतों को पुनर्विनियोग के माध्यम से योजनान्तर्गत ही 42-अन्य व्यय मद में रू0-5.00 लाख एवं 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में रू0-3.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-8.00 लाख (रूपया आठ लाख मात्र) स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कारण/मुख्य वित्त नियंत्रक /आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

https://shasanadesh.up.gov.in

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

4- व्यय की गयी धनराशि का औचित्य/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

6- उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

7- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक/वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

9- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

10- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

11- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 लेखा शीर्षक 2401001190304 राज भवन के उद्यानों का अनुरक्षण मानक मद 42 अन्य व्यय (भारित) (*2*) रुपये 3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 लेखा शीर्षक 2401001190304 राज भवन के उद्यानों का अनुरक्षण मानक मद 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 12/2023/ 58-2023-697(1) /001-1503616-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।

3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ-द्वारा निदेशक।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।

6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in